Form NO III

फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ

दलीप बनाम सरकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट प्रकरण स0— /2017

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिषियल जज	नम्बर व तारिख
20.08.2018	प्रार्थी दलीप पुत्र मालाराम ने निवेदन किया की रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 205/207 के खसरा न0 476/1 की 3.4010हैक व खसरा न0 484/3 की 0.1170हैक कुल 3.5180हैक भूमि प्रार्थी के नाम से बतौर खातेदार दर्ज है किन्तु सहवन से राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम दीपाराम पुत्र मालाराम दर्ज हो गया है प्रार्थी का सही नाम दलीप कुमार पुत्र मालाराम है प्रार्थी अपना सही नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहता है। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार नोहर से रिपोर्ट ली गई तहसीलदार नोहर की रिपोर्ट अनुसार रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 205/207 में दीपा पुत्र मालाराम के नाम से भूमि दर्ज है एवं प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात आम आदमी का आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र में प्रार्थी का नाम दलीप कुमार पुत्र मालाराम दर्ज है सरपंच ग्राम पंचायत सोनडी के अनुसार भी प्रार्थी का सही नाम दलीप कुमार पुत्र मालाराम है इसलिये प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में दीपाराम के स्थान पर दीपराम उर्फ दलीप कुमार सशोधन किया जाना उचित है। अतः तहसीलदार नोहर की अभिषंषा एवं सांक्ष्यों के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाकर रोही मौजा सोनडी के खाता सख्या 205/207 में प्रार्थी का नाम दीपाराम के स्थान पर दीपाराम उर्फ दलीप कुमार संशोधन किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। आदेश आज दिनांक को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरेईजलास सुनाया गया। SAZO[illegible]	

Web Copy Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ़।

आदेश

प्रार्थी के " खाता दुरूस्ती " प्रार्थना पत्र एवं पटवारी सोनडी तथा तहसीलदार नोहर. की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान भू0राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में जमाबन्दी मे वर्तमान दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्व किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है :-

क्र0स0	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्व प्रविष्टि)	आदेश (शुद्व प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।
1	2	3	4	5
1	सोनडी	205 / 207	दीपाराम	दीपाराम उर्फ दलीप

उपखण्ड अधिकारी एवं
नोहर(हनुमानगढ)
दिनाक :-

क्रमांक रीडर / 2018 / 1569-70 20/8/18

प्रतिलिपी :-

1. तहसीलदार नोहर को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो नियमानुसार राजस्व रिकार्ड अमल दरामद किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवावे।
2. प्रार्थी दीपाराम उर्फ दलीप को सुचनार्थ प्रेषित है

सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी एवं
नोहर (हनुमानगढ)

Web Copy - Not Official